6/16 आज यह पत्रावली कैमरा कोर्ट कार्यवाही में
प्रतिवादी स्वयं वादी व उसके वकील उपस्थित।
प्रार्थी वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादी अपने
वाद को आगे नहीं चलाना चाहता। वाद को विड्रा
करना चाहता है प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाता है वादी का वाद विड्रा किया जाता है पत्रावली
नस्ती से समेकित वाद तकमील अन्तिम दफ्तर की
जावे। निर्णय कैमरा कोर्ट कार्यवाही में लिखाया जाकर
सुनाया गया।

ने.म.
मध्यस्था

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)